## विषय-सूची

• गत वर्ष का प्रश्न-पत्र हल सहित

## भाग-I

विधिशास्त्र (Jurisprudence)			
1. विधि का स्वरूप तथा संकल्पना (Nature and Concept of Law)	3–21		
2. विधिशास्त्र की शाखाएँ (Schools of Jurisprudence)	22–92		
1. प्राकृतिक विधि विचारधारा (Natural Law School)	22		
2. विश्लेषणात्मक विचारधारा (Analytical School)	31		
3. ऐतिहासिक विचारधारा (Historical School of Jurisprudence)	64		
4. समाजशास्त्रीय विचारधारा (Sociological School of Jurisprudence)	70		
<ul> <li>3. न्याय प्रशासन : दण्ड के सिद्धान्त (Administration of Justice : Theories of Punishment)</li> <li>4. विधि के स्रोत : रुदि, पूर्व निर्णय तथा विधायन (Sources of Law : Custom,</li> </ul>	93–108		
Precedent and Legislation)	109–144		
5. विधिक संकल्पनाएँ (Legal Concepts)	145–178		
1. अधिकार एवं कर्त्तव्य (Rights and Duties)	145		
2. কজ্ঞা (Possession)	152		
3. स्वामित्व (Ownership)	158		
6. विधिक व्यक्तित्व (Legal Personality)	179–192		
भाग-II			
भारत की सांविधानिक विधि (Constitutional Law of India)	1–160		
1. भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व (Main Features of Indian Constitution)	2–5		
2. उद्देशिका (Preamble)	6–12		
3. मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Rights,	10.75		
Directive Principles and Fundamental Duties)	13–75		
(ক) समता का अधिकार (Right to Equality)	18		
(ख) विधि के समक्ष समता अथवा विधियों का समान संरक्षण (Equality befor Law and Equal Protection of Laws)	e 18		

	(ग)	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध	
		(Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste,	22
	(ঘ)	sex or place of birth) लोक सेवाओं में अवसर की समानता (Equality of opportunity in	22
	(4)	matters of Public Employment)	23
	(ङ)	अस्पृश्यता का अन्त (Abolition of untouchability)	26
	(च)	उपाधियों का अन्त (Abolition of titles)	26
	(छ)	स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)	32
	(ज)	अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (Protection in respect	
	, ,	of conviction for offences)	38
	(耔)	प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण (Protection of life and personal libe	rty) 42
	(ञ)	बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध सांविधानिक संरक्षण (Constitutional Protecti	on
		against arrest and detention)	47
	(ट)	शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)	48
	(ਰ)	धर्म स्वातन्त्रय का अधिकार (Right to Freedom of Religion)	50
	(ड)	संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights)	53
	(ढ़)	राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)	64
	(আ)	मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)	68
4.	राष्ट्रप	ति एवं राज्यपाल (President and Governor)	76–98
5.	उच्चत	ाम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय (Supreme Court and High Court)	99–120
6.	संघ त	न्नोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग (Union Public Service	
	Com	mission and State Public Service Commission)	121-125
7.	संघ त	तथा राज्यों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन	
	(Dist	cribution of Legislative and Administrative Powers between Union	
	and S	States)	126–136
8.	आपात	न-उपबंध (Emergency Provisions)	137–150
9.	संविध	ान का संशोधन (Amendment of the Constitution)	151–160
		भाग-III	
अन्त	ार्राष्ट्री	य विधि (International Law)	1–184
		िष्ट्रीय विधि की परिभाषा एवं स्वरूप (Definition and Nature of	
		national Law)	3–42
2.		िष्ट्रीय विधि के स्रोत (Sources of International Law)	43–61
3.		मान्यता एवं राज्य उत्तराधिकार (State Recognition and State Succession)	62–93

	4.	संयुक्त राष्ट्र सघ (United Nations Organisation)	94–100
		(क) महासभा : गठन, कार्य एवं शक्तियाँ (General Assembly : Composition,	
		Function and Powers)	101-107
		(ख) सुरक्षा परिषद् : गठन, कार्य एवं शक्तियाँ (Security Council : Composition,	
		Function and Powers)	108–135
		(ग) सिचवालय (The Secratariat)	136–139
		(घ) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् : गठन, कार्य और शक्तियाँ (Economic and	
		Social Council: Composition, Function and Powers)	140–142
		(ङ) न्यासधारिता परिषद् : गठन, कार्य एवं शक्तियाँ (The Trusteeship Council :	
		Composition, Function and Powers)	143–145
		(च) न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)	146–164
	5.	मानव अधिकार एवं संरक्षण (Human Right and Their Protection)	165–184
		भाग-IV	
•	अप	कृत्य विधि (Law of Torts)	1–152
	1.	अपकृत्य का स्वरूप एवं परिभाषा (Nature and Definition of Torts)	3-24
	2.	दोष पर आधारित दायित्व एवं कठोर दायित्व (Liabilities Based on Fault and	
		Strict Liability)	25–44
	3.	प्रतिनिधिक दायित्व एवं राज्य दायित्व (Vicarious Liability and State Liability)	45–66
	4.	संयुक्त अपकृत्यकर्ता (Joint Tortfeasors)	67–76
	5.	उपेक्षा (Negligence)	77–98
	6.	मानहानि (Defamation)	99–117
	7.	षड्यंत्र (Conspiracy)	118–119
	8.	उपताप (Nuisance)	120-131
	9.	अप्राधिकृत बदीकरण या मिथ्या कारावास (False Imprisonment)	132–140
	10.	विद्वेषपूर्ण अभियोजन (Malicious Prosecution)	141–152
		भाग-V	
•	भार	तीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code)	1-236
	1.	आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धान्त—आपराधिक मनःस्थिति तथा आपराधिक कार्य	
		(General Principles of Criminal Liability—Mens rea and Actus reus)	3–23
	2.	अपराध की तैयारी तथा आपराधिक प्रयत्न (Preparation for Crime and Criminal	
		Attempt)	24–37

	( vi )	
3.	सामान्य अपवाद (General Exceptions)	38–77
	(क) सामान्य अपवाद (General Exceptions) (धारा 87–95)	78–97
	(ख) प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार (Right of Private Defence)	98–121
4.	संयुक्त एवं रचनात्मक दायित्व (Joint and Constructive Liability)	122-127
	(क) सामान्य उद्देश्य (Common Object)	128-138
5.	दुष्प्रेरण (Abetment)	139–161
6.	राजद्रोह (Sedition)	162–168
7.	आपराधिक मानव वध और हत्या (Culpable Homicide and Murder)	169–205
8.	चोरी, उद्दापन, लूट तथा डकैती (Theft, Extortion, Robbery and Dacoity)	206–224
9.	दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यास भंग (Criminal Misappropriation and Breach of Trust)	225–236
● संवि	भाग-VI	1–228
1.	करार, संविदा एवं प्रस्थापना (Agreement, Contract and Proposal)	3–15
2.	प्रतिग्रहण (Acceptance)	16–32
	(क) प्रतिफल (Consideration)	33–54
	(ख) संविदा की सक्षमता (Capacity to Contract)	55–65
3.	सम्मति को अमान्य करने वाले कारक (Factors Vitiating Consent)	66–98
4.	उद्देश्य की विधिपूर्णता (Legality of Object)	99–137
5.	समाश्रित संविदा (Contingent Contract)	138–149
6.	संविदा का पालन (उन्मोचन) (Performance of Contract)	150-157
7.	संविदा पालन की असम्भवता (Impossibilities of Performance)	158–187
8.	संविदा-कल्प (Quasi Contract)	188–201
9.	संविदा भंग के उपचार (Remedies for Breach of Contract)	202–228